

12/04/2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. एडीबी का अनुमान है कि इस साल भारत की जीडीपी वृद्धि 7% रहेगी (12 अप्रैल) (GS PAPER III: अर्थव्यवस्था)
2. अधिकांश भारतीय देश की बहुलता में विश्वास करते हैं: सर्वेक्षण (12 अप्रैल) (GS PAPER II: बहुलता)
3. जामा मस्जिद (ए एवं सी)
4. भारत के दबाव के बाद Apple ने हैकिंग अलर्ट के शब्दों में बदलाव किया (12 अप्रैल) (GS PAPER III: साइबर सुरक्षा)
5. बीजिंग का कहना है कि मजबूत और स्थिर चीन-भारत संबंध दोनों पक्षों, क्षेत्र के हितों की पूर्ति करते हैं (12 अप्रैल) (GS PAPER II: आईआर)
6. चुनावी मौसम में, द्विपक्षीय संबंधों में खटास के खतरे (12 अप्रैल) (GS PAPER II: आईआर)
7. अंतिमता और न्याय: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मामले पर (12 अप्रैल) (GS PAPER II: उपचारात्मक याचिका)
8. लद्दाख और पूरी मानवता को बचाने की लड़ाई (12 अप्रैल) (GS PAPER III: पर्यावरण)
9. इसरो का 'शून्य कक्षीय मलबा' मील का पत्थर (GS PAPER III: एस एंड टी)

भारत में डाक मतपत्र प्रणाली

1. **पात्रता** : कुछ श्रेणियों के मतदाता डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र हैं। इनमें सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस कर्मियों के सदस्य शामिल हैं जो चुनाव के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर तैनात होते हैं। इसके अतिरिक्त, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, विकलांग व्यक्ति और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोग भी डाक मतपत्र के लिए पात्र हो सकते हैं।
2. **डाक मतपत्र का अनुरोध करना** : योग्य मतदाता जो डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए संबंधित चुनाव अधिकारियों को आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में आम तौर

पर पात्रता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक अनुरोध पत्र जमा करना शामिल होता है।

3. **मतपत्रों का प्रेषण और प्राप्ति** : एक बार डाक मतपत्र के लिए आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, चुनाव अधिकारी मतपत्रों को मतदाता के पंजीकृत पते पर भेज देते हैं। मतदाता को मतपत्र दिए गए पते पर डाक द्वारा प्राप्त होता है।
4. **मतपत्रों को चिह्नित करना और वापस करना** : डाक मतपत्र प्राप्त होने पर, मतदाता दिए गए मतदान निर्देशों के अनुसार मतपत्रों पर अपनी पसंद को चिह्नित करते हैं। चिह्नित मतपत्रों को दिए गए लिफाफे में सील कर दिया जाता है और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मेल द्वारा चुनाव अधिकारियों को वापस कर दिया जाता है।
5. **सत्यापन और गिनती** : चुनाव अधिकारी लौटाए गए डाक मतपत्रों की वैधता की पुष्टि करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे निर्धारित प्रक्रियाओं और समय सीमा का अनुपालन करते हैं। डाक मतपत्रों की गिनती आम तौर पर चुनाव के दिन व्यक्तिगत रूप से डाले गए वोटों की गिनती के साथ-साथ होती है।
6. **सुरक्षा उपाय** : भारत में डाक मतपत्र प्रणाली की सुरक्षा के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। इनमें मतदाता की पहचान का सत्यापन, मतपत्रों का प्रमाणीकरण, और छेड़छाड़ या धोखाधड़ी को रोकने के लिए लौटाए गए मतपत्रों की सुरक्षित हैडलिंग शामिल हो सकती है।
7. **विधान और विनियम** : भारत में डाक मतपत्र प्रणाली लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। ये कानून पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, समय सीमा और संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार करते हैं। डाक मतदान।
8. **हाल के घटनाक्रम** : हाल के वर्षों में, विशेष रूप से COVID-19 महामारी के आलोक में, कुछ श्रेणियों के मतदाताओं के लिए मतदान की सुविधा के लिए डाक मतपत्रों के उपयोग को बढ़ाने पर चर्चा और पहल की गई है। हालाँकि, डाक मतपत्र प्रणाली में विशिष्ट अपडेट या परिवर्तन भारत के चुनाव आयोग या अन्य संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक घोषणाओं के माध्यम से उपलब्ध हो सकते हैं।

एडीबी का अनुमान है कि इस साल भारत की जीडीपी वृद्धि 7% रहेगी (12 अप्रैल) (GS PAPER III: अर्थव्यवस्था)

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले दो वर्षों में मजबूत रहेगी।
- हालाँकि, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2023-24 में 7.6% से घटकर चालू वर्ष में 7% होने की उम्मीद है, 2025-26 में 7.2% तक पहुंचने से पहले।
- एडीबी का अनुमान है कि इस साल खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.6% और 2025-26 में 4.5% रह जाएगी।
- खाद्य मुद्रास्फीति, जो लगातार बनी हुई है, इस वर्ष कृषि उत्पादन सामान्य प्रवृत्ति पर लौटने के कारण 5.7% तक गिरने की उम्मीद है।
- मार्च में संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति का पुनरुत्थान एशिया के मुद्रास्फीति दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है, जिससे 'लंबे समय तक उच्च' ब्याज दर व्यवस्था हो सकती है, जो विकास को थोड़ा प्रभावित कर सकती है।

भारत पर ज्यादा असर

- विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रति उच्च संवेदनशीलता और आयातित वस्तुओं पर अधिक निर्भरता के कारण भारत पर मुद्रास्फीति का प्रभाव अधिक स्पष्ट और लगातार रहेगा।
- लाल सागर में संघर्षों के कारण शिपिंग लागत में लगातार बढ़ोतरी से विकासशील एशिया में मुद्रास्फीति का दबाव और बढ़ सकता है।
- इस वर्ष भारत में अनुमानित सामान्य मानसून से ग्रामीण खपत में सुधार आने की उम्मीद है, जो पिछले साल कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अनियमित वर्षा के कारण कम हो गई थी।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के तहत काम की अधिक मांग की उम्मीद है, जो परिणामी तनाव का संकेत है।
- बढ़ती खपत और निरंतर निवेश वृद्धि से समर्थित भारत की वृद्धि मजबूत रहने का अनुमान है।
- दक्षिण एशिया के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी 80% है और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला उप-क्षेत्र बना हुआ है, अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में कीमतों में नरमी के कारण घरेलू मांग में सुधार हुआ है।
- दक्षिण एशिया में इस साल 6.3% और 2025 में 6.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- उच्च आय उपभोक्ता मांग को बढ़ाएगी, और शहरी उपभोक्ताओं के बीच विश्वास के स्तर में सुधार हुआ है, जिससे शहरी क्षेत्रों से मांग में अपेक्षित वृद्धि होगी।
- हालाँकि, घरेलू माँग को पूरा करने के लिए बढ़े हुए आयात से इस वर्ष और अगले वर्ष चालू खाता घाटा मामूली रूप से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 1.7% हो सकता है।

निर्यात मंद

- भारत की वृद्धि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की निवेश मांग से प्रेरित होगी, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ-साथ उपभोक्ता मांग में भी धीरे-धीरे सुधार होगा।
- प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि के कारण इस वर्ष निर्यात अपेक्षाकृत कम रहने की उम्मीद है। लेकिन 2025-26 में उनमें सुधार होने की उम्मीद है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह नरम रह सकता है तंग वैश्विक वित्तीय स्थितियों के कारण निकट अवधि में, लेकिन 2025-26 में इसमें तेजी आने का अनुमान है, खासकर उच्च उद्योग और बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ।
- मूल्य और वित्तीय बाजार स्थिरता उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो भारत के आर्थिक दृष्टिकोण के लिए आवश्यक हैं।
- आर्थिक अनुमानों में गिरावट के जोखिमों में कच्चे तेल और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे वैश्विक झटके शामिल हैं, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि और वित्तीय स्थिति कड़ी होगी।
- मौसम के झटकों के कारण कृषि क्षेत्र में खराब प्रदर्शन का जोखिम है, जो मांग और मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकता है।
- उल्टा जोखिमों में उम्मीद से अधिक तेजी से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह शामिल है, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, जो उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाएगा।
- उम्मीद से बेहतर वैश्विक वृद्धि से निर्यात और समग्र आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल सकता है।

अधिकांश भारतीय देश की बहुलता में विश्वास करते हैं: सर्वेक्षण (12 अप्रैल) (GS PAPER II: बहुलता)

- सीएसडीएस- लोकनीति सर्वेक्षण के अनुसार, 79% उत्तरदाताओं का मानना है कि "भारत सभी धर्मों का समान रूप से है, न कि केवल हिंदुओं का।" जबकि केवल 11% का मानना है कि "भारत केवल हिंदुओं का है।"
- बहुलता में यह विश्वास शहरी क्षेत्रों (कस्बों में 85% और शहरों में 84%) में अधिक स्पष्ट था और बिना स्कूली शिक्षा वाले लोगों (72%) की तुलना में शिक्षित (83%) में अधिक था।
- इसके बावजूद, केवल 8% उत्तरदाताओं ने कहा कि राम मंदिर उनकी सबसे महत्वपूर्ण चिंता थी, लेकिन 22% ने इसे भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की "सबसे पसंदीदा कार्रवाई" के रूप में उल्लेख किया।
- इसके अतिरिक्त, 48% उत्तरदाताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि राम मंदिर हिंदू पहचान को मजबूत करेगा।
- सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि 58% उत्तरदाताओं ने चुनाव आयोग में कुछ हद तक अविश्वास व्यक्त किया।
- लगभग 45% उत्तरदाताओं ने संभावना जताई कि सत्तारूढ़ दल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में हेरफेर किया जा सकता है।

जामा मस्जिद (ए एवं सी)

- **भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक:** जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में से एक है।
- **मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया:** इसका निर्माण 1650 में शुरू हुआ और 1656 में पूरा हुआ।
- **वास्तुकला का महत्व:** मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति, यह उस काल की कलात्मक और इंजीनियरिंग उपलब्धियों को दर्शाती है।



प्रमुख विशेषताएँ:

- **सामग्री:** मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित।
- **लेआउट:** इसमें एक विशाल प्रांगण है जिसमें लगभग 25,000 उपासक बैठ सकते हैं।
- **मीनारें:** दो ऊंची मीनारें लगभग 40 मीटर ऊंची हैं।
- **गुंबद:** तीन भव्य गुंबद मस्जिद की शोभा बढ़ाते हैं।
- **सुलेख:** जटिल नक्काशी और कुरान की आयतें आंतरिक सज्जा को सजाती हैं।

महत्व:

- **सक्रिय पूजा स्थल:** यह पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है और विशेष रूप से शुक्रवार और ईद के दौरान प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं।
- **पर्यटन स्थल:** एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण, जो मुगल इतिहास, वास्तुकला और भारत की इस्लामी विरासत की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- **दिल्ली का प्रतीक:** पुरानी दिल्ली और शहर के इतिहास में एकीकृत एक प्रतिष्ठित मील का पत्थर।

भारत के दबाव के बाद Apple ने हैकिंग अलर्ट के शब्दों में बदलाव किया (12 अप्रैल) (GS PAPER III: साइबर सुरक्षा)

- Apple, Inc. ने प्रभावित ग्राहकों को ईमेल अलर्ट और अपनी वेबसाइट पर समर्थन दस्तावेज़ में "राज्य समर्थित हमलावरों" के संबंध में अपनी भाषा को "भाड़े के" हैकरों के रूप में बदल दिया है।
- यह बदलाव राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं पर हैकिंग के प्रयासों के लिए इनकार करने की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के दबाव की रिपोर्टों के बाद आया है।
- पेगासस जैसे स्पाइवेयर से उनके फोन में अनधिकृत घुसपैठ के प्रति सचेत किया गया है, जिसे भारतीय खुफिया ब्यूरो ने 2017 में हासिल किया था।
- भाषा में बदलाव भारत और 91 अन्य देशों में उपयोगकर्ताओं को भेजे गए हैकिंग सूचनाओं के एक नए बैच की रिपोर्ट के साथ मेल खाता है। हालाँकि, इनमें से किसी भी देश में किसी भी उपयोगकर्ता ने सार्वजनिक रूप से ऐसे अलर्ट प्राप्त होने की सूचना नहीं दी है।
- पिछले नवंबर में, Apple और भारत सरकार ने दावा किया था कि 150 देशों के उपयोगकर्ताओं को हैकिंग अलर्ट प्राप्त हुए थे, लेकिन उस सप्ताह केवल भारत के उपयोगकर्ताओं ने उन्हें प्राप्त होने की सूचना दी थी।
- Apple के एक प्रवक्ता ने भाषा में बदलाव पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, और भारत में जिन उपयोगकर्ताओं को पहले अलर्ट प्राप्त हुआ था, उन्हें अंतिम दिन में कोई अलर्ट नहीं मिला।
- अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अलर्ट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल सुरक्षा हेल्पलाइन खोली है।
- वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि मोदी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने एप्पल के भारत के प्रतिनिधियों को फोन करके मांग की कि कंपनी नवंबर अलर्ट के संबंध में चेतावनियों के राजनीतिक प्रभाव को कम करने में मदद करे।
- नवंबर में अलर्ट प्राप्त करने वाले कम से कम दो व्यक्तियों को अलग-अलग फोरेंसिक जांच में उनके फोन पर पेगासस स्पाइवेयर के निशान मिले।

बीजिंग का कहना है कि मजबूत और स्थिर चीन-भारत संबंध दोनों पक्षों, क्षेत्र के हितों की पूर्ति करते हैं (12 अप्रैल) (GS PAPER II: आईआर)


- वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों को भारतीय विदेश मामलों के विशेषज्ञ बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं।
- चीन के विदेश मंत्रालय (एमएफए) ने मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत से द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए चीन के साथ काम करने का आह्वान किया।
- न्यूजवीक के साथ एक साक्षात्कार में, मोदी ने चीन के साथ भारत के संबंधों और अप्रैल 2020 से एलएसी पर गतिरोध पर अपनी चुप्पी तोड़ी।
- मोदी ने सीमा स्थिति के तत्काल समाधान और दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर रचनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता पर जोर दिया।
- चीनी एमएफए के प्रवक्ता माओ निंग ने मोदी की टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा कि मजबूत और स्थिर चीन-भारत संबंध दोनों देशों के सामान्य हित में हैं।
- हालाँकि, माओ ने स्पष्ट किया कि सीमा प्रश्न संपूर्ण चीन-भारत संबंधों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

- पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज सरन ने मोदी की टिप्पणियों को चीन, अमेरिका और दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत बताया, उन्होंने सुझाव दिया कि अगर मोदी आगामी आम चुनाव में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाते हैं तो वे चीन के साथ मुद्दों को संबोधित करने को प्राथमिकता दे सकते हैं।
- वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में बीजिंग का दौरा किया, और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने फ्रांस का दौरा करने वाले हैं, जो 2019 के बाद उनकी यूरोप की पहली यात्रा है।
- भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पिछले चार वर्षों में सार्वजनिक रूप से या संसद में चीन का सीधे उल्लेख करने या भारत-चीन संबंधों की स्थिति पर टिप्पणी करने से बचते रहे हैं।
- हालांकि, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई सख्त बयान दिए हैं, जिसमें चीन पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैनिकों को तैनात करके भारत के साथ समझौतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने पर चीन की आलोचना की और भारत को भी ऐसा ही करने का संकेत दिया, साथ ही बिगड़ते संबंधों के लिए बीजिंग को भी जिम्मेदार ठहराया।
- गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की सतर्कता के कारण चीनी सैनिक किसी भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाए हैं।

चुनावी मौसम में, द्विपक्षीय संबंधों में खटास के खतरे (12 अप्रैल) (GS PAPER II: आईआर)

चुनाव प्रचार रैलियाँ और मीडिया सम्मेलन संवेदनशील विदेश नीति के मुद्दों पर मुखर बयान देने के स्थान नहीं हैं

- लोकलुभावनवाद के युग में, विदेश नीति निर्णय अक्सर घरेलू राजनीति पर उनके प्रभाव पर विचार करते हैं।
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1974 के भारत-श्रीलंका समझौते की आलोचना की, विशेष रूप से श्रीलंकाई क्षेत्र के हिस्से के रूप में कच्चातिवु द्वीप की मान्यता के संबंध में।
- उन्होंने समझौते से प्रभावित तमिलनाडु के मछुआरों की स्थिति पर चिंता जताई।
- पर बहस हुई है, जिसमें कच्चाथीवू का "नुकसान" और तेल-समृद्ध वाडगे बैंक का "लाभ" शामिल था।



- कुछ सरकारी बयान और आरटीआई जवाब जयशंकर की 1974 के समझौते की आलोचना का खंडन करते हैं।
- इन बयानों का उद्देश्य संभवतः भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में आगामी आम चुनावों को प्रभावित करना है।
- हालाँकि, श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव को लेकर चिंताएँ हैं, जहाँ राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव भी होने वाले हैं।
- भारत ने हाल ही में श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके उसके साथ संबंधों को मजबूत किया है।
- अभियान के मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंधों में तनाव भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच सद्भावना को कम कर सकता है।

विश्वसनीयता को झटका लग सकता है

- श्रीलंका के साथ 1974 के समझौते पर दोबारा विचार करने के सरकार के संकेत अंतरराष्ट्रीय सवाल खड़े करते हैं।
- इस बात को लेकर चिंताएँ हैं कि क्या 1974 के समझौते पर आधारित अन्य समझौतों को भी संशोधित किया जा सकता है।

- उदाहरणों में बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमा समझौता, जिसे संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण के फैसले के बाद 2014 में भारत द्वारा स्वीकार किया गया था, और एन्क्लेव के आदान-प्रदान के लिए बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता जैसी बातचीत शामिल हैं।
- **यूएनसीएलओएस जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा समुद्री समझौतों को मान्यता मिलने के कारण इन समझौतों को संशोधित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।**
- अगर भारत आम चुनाव के बाद इस लाइन पर आगे बढ़ना चुनता है तो इससे बातचीत करने वाले भागीदार के रूप में भारत की विश्वसनीयता पर भी संदेह पैदा हो सकता है।
- भारत को पहले भी समझौतों को संशोधित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि।
- संधि को रद्द करने की धमकियों और पुनः बातचीत के आह्वान के बावजूद, इस मामले पर प्रगति धीमी रही है।

सीए पर, अंतरराष्ट्रीय भागीदारी

- **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीए)** के नियमों को अधिसूचित करने का सरकार का निर्णय आम चुनाव से ठीक पहले के घरेलू निहितार्थ हैं जो पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।
- 2019 में पारित सीए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के मुसलमानों को बाहर करता है, उन पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया जाता है।
- **सीए की इस बहिष्करणीय प्रकृति को पड़ोसी देशों, विशेषकर बांग्लादेश द्वारा भेदभावपूर्ण के रूप में देखा गया है।**
- **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)** का कार्यान्वयन सीए का पालन करने से संभावित रूप से हजारों लोग राष्ट्रविहीन हो सकते हैं, जिससे ढाका के साथ संबंध और तनावपूर्ण हो सकते हैं।
- **सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में सबसे अधिक मुखर थे, जिसके परिणामस्वरूप 2021 में श्री मोदी की ढाका यात्रा के दौरान लोग हताहत हुए।**
- हालांकि सीए के संबंध में हालिया फैसले पर शेख हसीना सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन अगर इसे पूरी तरह से लागू किया गया तो यह ढाका में भारत के राजनयिकों के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है।
- सरकारी कार्रवाइयों के अलावा, विपक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन के साथ भारत के गतिरोध के बारे में चिंता जताता रहा है, खासकर अप्रैल 2020 से भूमि पर पीएलए के नियंत्रण को लेकर।
- **मौजूदा आम चुनाव के दौरान भारतीय एजेंसियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय हत्याओं के आरोप एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनकर उभरे हैं।**
- संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सिख राजनीतिक कार्यकर्ता को निशाना बनाकर कथित हत्या की साजिश के लिए एक भारतीय नागरिक पर मुकदमा जल्द ही शुरू होने वाला है।
- **कनाडा ने भारतीय एजेंटों पर ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख समुदाय के नेता की हत्या का आरोप लगाया है, जो पाकिस्तान द्वारा किए गए समान दावों के अनुरूप है।**
- पाकिस्तान ने एक ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट का समर्थन किया है जिसमें पाकिस्तान में सिख और इस्लामी अलगाववादी कार्यकर्ताओं की हत्या में भारतीय खुफिया विभाग की संलिप्तता का सुझाव दिया गया है।
- अपनी धरती पर इन व्यक्तियों की मौजूदगी के बारे में स्पष्टीकरण देने की पाकिस्तान की जिम्मेदारी के बावजूद, नई दिल्ली को कनाडा, पाकिस्तान और अमेरिका के प्रति अपनी विभिन्न प्रतिक्रियाओं के कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

- "पाकिस्तान में जाने वाले आतंकवादियों को मारने" की सरकारी नीति के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भारत द्वारा कनाडाई आरोपों को खारिज करने और कनाडाई राजनयिकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के विरोधाभासी है।
- गुरपतवंत सिंह पत्रून पर हत्या के प्रयास के संबंध में अमेरिकी सरकार के दावों को भारत द्वारा स्वीकार करने में अमेरिकी सबूतों की जांच करने और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप एक उच्च स्तरीय जांच पैनल शुरू करने पर सहमति शामिल है।

विवेक की कुंजी

- जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने के लिए सार्वजनिक अभियान रैलियों या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय विवेकपूर्ण, बंद द्विपक्षीय वार्ता की आवश्यकता होती है।
- सरकार द्वारा दिए गए बयान पड़ोसी देशों का ध्यान आकर्षित करते हैं, खासकर क्षेत्रीय और संप्रभुता मामलों के संबंध में।
- नेपाल सरकार ने पुनर्गठित जम्मू-कश्मीर के भारतीय गजट मानचित्र और भारत के नए संसद भवन में "अखंड भारत" को दर्शाने वाले भित्ति चित्र पर आपत्ति जताई है।

Modern Day	Ancient Name
Afghanistan	Uppanathan
Kabul	Kubha Nagar
Peshawar	Purushpur
Multan	Moolsthan
Tibet	Trivishtap
Sri Lanka	Singhaldweep
Myanmar	Brahmadesh



- प्रचार सत्र के दौरान कार्टोग्राफिक विवादों पर कोलंबो, ढाका या काठमांडू जैसे पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया के स्थायी परिणाम हो सकते हैं।
- चुनावी मौसम के दौरान घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों का त्याग करने से लंबे समय तक नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

त्रिस्तरीय दौड़: तेलंगाना और आम चुनाव 2024 (12 अप्रैल) पर

बीआरएस के फिसलने से तेलंगाना में कांग्रेस आगे बनी हुई है

- आगामी आम चुनाव में तेलंगाना में कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।
- कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) प्रमुख दावेदार हैं, एक दशक तक सत्ता में रहने के बाद बीआरएस अपनी जमीन खो रही है।
- 2023 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस ने अपने वोट शेयर में 14% का सुधार किया, जबकि बीआरएस में समान अंतर से गिरावट आई।
- बीआरएस के खिलाफ झुकाव से आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी और मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस दोनों को फायदा हुआ।
- कांग्रेस के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के शासन में, समावेशिता पर ध्यान देने के साथ सार्वजनिक धारणा में बदलाव आया है।
- हाल ही में विश्वस्त लेफ्टिनेंट के. केशव राव सहित कई हाई-प्रोफाइल लोगों के बीआरएस से कांग्रेस में चले जाने से बीआरएस की स्थिति कमजोर हो गई है।
- 2018 और 2023 के बीच बीजेपी का वोट शेयर 7% से दोगुना होकर 14% हो गया, जो तेलंगाना में तीन-तरफा दौड़ का संकेत देता है।
- ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) बिना किसी औपचारिक गठबंधन के एक प्रमुख खिलाड़ी बनी हुई है, जिसमें गैर-चुनाव वाली सीटों पर इसके समर्थकों का मतदान व्यवहार एक प्रमुख कारक है।

अंतिमता और न्याय: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मामले पर (12 अप्रैल) (GS PAPER II: उपचारात्मक याचिका)

डीएमआरसी विवाद के मध्यस्थों को तथ्य और कानून के प्रति अधिक जागरूक होने की जरूरत है

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 से अपने ही फैसले को पलट दिया, जिससे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को ₹7,687 करोड़ के बोझ से राहत मिली।
- इस विवाद में डीएमआरसी और दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएमईपीएल) शामिल थे, जो मेट्रो लाइन के लिए पूर्व रियायतग्राही थी।
- कथित DMRC विफलताओं के कारण DAMEPL ने 2012 में समाप्ति खंड लागू किया, जिसके कारण मध्यस्थता हुई।
- दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने डीएमआरसी के खिलाफ मध्यस्थता पुरस्कार को बरकरार रखा, लेकिन एक खंडपीठ ने इसे रद्द कर दिया।

- 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने पुरस्कार बहाल कर दिया, लेकिन एक समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई।
- शीर्ष न्यायालय द्वारा अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार करने के बाद दायर की गई सुधारात्मक याचिका एक असाधारण उपाय है।
- उपचारात्मक याचिका के आधारों में प्रक्रिया के दुरुपयोग और न्याय के घोर गर्भपात को रोकना शामिल है।
- भारत का मध्यस्थता कानून सीमित आधार पर किसी फैसले को रद्द करने की अनुमति देता है, लेकिन लंबी मुकदमेबाजी मध्यस्थता को रोक सकती है।
- डीएमआरसी मामला मध्यस्थों और न्यायाधीशों द्वारा तथ्य और कानून दोनों को सही रखने, न्याय सुनिश्चित करने और लंबे समय तक मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

समीक्षा याचिका :

- सम्बंधित अनुच्छेद: भारत के संविधान का अनुच्छेद 137.
- समीक्षा याचिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के फैसले या आदेश से पीड़ित पक्षों के लिए उपलब्ध एक कानूनी उपाय है।
- समीक्षा याचिका का उद्देश्य नए और महत्वपूर्ण सबूतों की खोज या रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि के आधार पर अदालत द्वारा पारित अंतिम निर्णय या आदेश की पुनः जांच की मांग करना है।
- समीक्षा याचिका केवल मूल मामले के पक्षकारों द्वारा ही दायर की जा सकती है, और यह कानून या तथ्य की त्रुटि, न्याय की विफलता, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन जैसे आधारों पर आधारित होनी चाहिए।
- समीक्षा याचिका की सुनवाई आम तौर पर न्यायाधीशों की उसी पीठ द्वारा की जाती है जिसने मूल निर्णय दिया था, और अदालत के लिए यह विवेकाधीन है कि वह याचिका की योग्यता पर विचार करने के बाद उसे स्वीकार या अस्वीकार कर दे।

उपचारात्मक याचिका :

- संबंधित अनुच्छेद: संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उपचारात्मक याचिका की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा रूपा अशोक हुर्ला बनाम अशोक हुर्ला और अन्य (2002) के मामले में विकसित की गई थी।
- सुधारात्मक याचिका असाधारण मामलों में न्याय की भारी गड़बड़ी को दूर करने और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपलब्ध एक कानूनी उपाय है।
- समीक्षा याचिका के विपरीत, समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है, और यह मौलिक अधिकारों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुई स्पष्ट त्रुटि को ठीक करने के लिए उपलब्ध अंतिम उपाय है।
- एक सुधारात्मक याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की जाती है, साथ ही उन न्यायाधीशों ने भी जिन्होंने मूल निर्णय सुनाया था।
- याचिकाकर्ता को यह प्रदर्शित करना होगा कि मामला संवैधानिक महत्व के मुद्दों को उठाता है और अंतिम निर्णय तक पहुंचने वाली कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय की विफलता हुई है।
- न्यायालय के पास उपचारात्मक याचिका को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है, और यदि स्वीकार किया जाता है, तो वह न्याय की गंभीर हानि को रोकने के लिए फैसले की समीक्षा कर सकता है।

लद्दाख और पूरी मानवता को बचाने की लड़ाई (12 अप्रैल) (GS PAPER III: पर्यावरण)

सोनम वांगचुक जलवायु उपवास ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता के बड़े मुद्दे को उजागर किया है

- जलवायु कार्यकर्ता और 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता सोनम वांगचुक ने 6 मार्च, 2024 को लेह, लद्दाख में 30,000 लोगों की भीड़ से बात की।
- उन्होंने अपने संबोधन के दौरान 21 दिनों के जलवायु उपवास की घोषणा की।
- पाकिस्तान और चीन के बीच स्थित लद्दाख 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां 97% मूल जनजातियां निवास करती हैं।
- यह क्षेत्र आजीविका के लिए खेती और पशुपालन पर बहुत अधिक निर्भर है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण लद्दाख को बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ग्रीनहाउस गैसों और अन्य प्रदूषकों सहित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- हिमालय क्षेत्र, जहां लद्दाख स्थित है, लगभग 15,000 ग्लेशियरों का घर है, जिन्हें अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है।
- ये ग्लेशियर वसंत और गर्मियों के दौरान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों में पिघला हुआ पानी छोड़ कर जल विज्ञान चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- हालांकि, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा है, जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों और निचले इलाकों के समुदायों दोनों को प्रभावित करेगा।

बुनियादी ढांचे में उछाल

- 2008 में, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के हिस्से के रूप में आठ मिशन शुरू किए।
- इन मिशनों में से एक, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम (एनएमएसएचई) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी)

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।

उत्पत्ति और दृष्टि:

- 2008 में प्रधान मंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद (PMCCC) द्वारा लॉन्च किया गया।
- इसका उद्देश्य सतत विकास रणनीतियों को बढ़ावा देना है जो जलवायु शमन (ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना) और अनुकूलन (जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए तैयारी) दोनों को संबोधित करते हैं।

आठ राष्ट्रीय मिशन:

एनएपीसीसी में आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्रों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है:

1. **राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम):** सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपनाने को बढ़ावा देता है।

2. **उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई):** इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है।
3. **सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएच):** शहरी विकास में स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
4. **सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए):** इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि उत्पादकता बढ़ाना है।
5. **हरित भारत पर राष्ट्रीय मिशन (जीआईएम):** वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वनरोपण कार्यक्रम।
6. **सतत जल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसडब्ल्यूएम):** जल संरक्षण और कुशल जल उपयोग प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।
7. **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएचई):** नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।
8. **जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसकेसीसी):** जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर अनुसंधान और क्षमता निर्माण का समर्थन करता है।

- मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता का आकलन करना और पारिस्थितिकी तंत्र की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करना है।
- हालाँकि, अपने आदेश के बावजूद, एनएमएसएचई ने हिमालय क्षेत्र की सुरक्षा में अपनी भूमिका की उपेक्षा की है।
- केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की स्थापना के बाद, कई बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तेजी से शुरू की गईं।
- इन परियोजनाओं में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलों, सड़क चौड़ीकरण, सुरंगों, रेलवे लाइनों, सौर परियोजनाओं और एक नए हवाई अड्डे के टर्मिनल का निर्माण शामिल है।
- उल्लेखनीय परियोजनाओं में जोजिला सुरंग, कारगिल जंक्कर राष्ट्रीय राजमार्ग और चांगथांग क्षेत्र में हजारों एकड़ को कवर करने वाली एक विशाल सौर ऊर्जा परियोजना शामिल है।

चमकता बाढ़


- **तीव्र बाढ़:** अचानक आने वाली बाढ़ तब होती है जब बहुत ही कम समय में (आमतौर पर 6 घंटे के भीतर, अक्सर बहुत पहले) किसी क्षेत्र में अचानक पानी की मात्रा भर जाती है।
- **कारण:**
 - तूफान या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तीव्र वर्षा।
 - बांध या तटबंध की विफलता।
 - हिमानी झील के फटने या बर्फ जमने से अचानक पानी का निकलना।
- **उच्च जोखिम वाले क्षेत्र:**
 - खराब जल निकासी वाला शहरी वातावरण।
 - पर्वतीय क्षेत्र एवं घाटियाँ।
 - बांधों से नीचे की ओर के क्षेत्र।
 - जलने के निशान और वनों की कटाई वाले क्षेत्र (पानी को अवशोषित करने के लिए वनस्पति की कमी)।

आकस्मिक बाढ़ खतरनाक क्यों हैं?

- **गति और बल:** वे न्यूनतम चेतावनी समय के साथ तेजी से घटित होते हैं। पानी मलबा ले जा सकता है और तेज़ गति तक पहुँच सकता है, जिससे विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं।
- **अप्रत्याशितता:** तत्काल क्षेत्र में भारी वर्षा के बिना भी अचानक बाढ़ आ सकती है, विशेष रूप से कहीं और होने वाले उच्च तीव्रता वाले तूफानों से नीचे की ओर।

आकस्मिक बाढ़ के दौरान सुरक्षा

- **चेतावनियों पर ध्यान दें:** मौसम की चेतावनियों पर ध्यान दें और अधिकारियों द्वारा सलाह दिए जाने पर खाली कर दें।
- **ऊंची जमीन पर जाएं:** इंतजार न करें, तुरंत ऊंची जमीन की तलाश करें।
- **बाढ़ के पानी में गाड़ी चलाने या पैदल चलने से बचें:** बस कुछ इंच का बहता पानी खतरनाक हो सकता है और वाहनों को बहा ले जा सकता है।
- **मुड़ें, डूबें नहीं:** यदि आपको बाढ़ वाली सड़क मिलती है, तो उसे पार करने का प्रयास न करें।





सीमा सड़क संगठन (बीआरओ):

- **कार्य:** भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक अर्धसैनिक बल।
- **भूमिका:**
 - भारत की सीमाओं पर सड़कों, पुलों, हवाई क्षेत्रों और सुरक्षा सहित सीमा बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव करता है।
 - सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना को रसद सहायता प्रदान करता है।
- **इतिहास:** सीमा कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1960 में चीन-भारत युद्ध के मद्देनजर स्थापित किया गया।
- **फोकस:** मुख्य रूप से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक जरूरतों को पूरा करता है।
 - चुनौतीपूर्ण उच्च-ऊंचाई और दूरस्थ में काम करता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल):

- **कार्य:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU)।
- **भूमिका:**
 - राष्ट्रीय राजमार्गों, अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकास करता है और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है।
 - पड़ोसी देशों की सीमा सहित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **स्थापित:** 2014 में निगमित।
- **फोकस:** राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करता है, जिसमें उत्तर-पूर्व भारत, हिमालय और द्वीप क्षेत्रों के पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण इलाके शामिल हैं।
 - उच्च आर्थिक और सामाजिक प्रभाव वाली परियोजनाओं पर काम करता है।

मुख्य अंतर:

विशेषता	भाई	एनएचआईडीसीएल
मंत्रालय	रक्षा मंत्रालय	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
प्राथमिक ध्यान	सामरिक सीमा अवसंरचना	राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं
स्थापित	1960	2014
परिचालन क्षेत्र	मुख्य रूप से दूरस्थ और उच्च ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्र	कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों सहित मुख्य रूप से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र

ओवरलैप्स और सहयोग:

- दोनों संगठन राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देते हैं।
- कुछ उदाहरणों में, एनएचआईडीसीएल चल रहे रखरखाव के लिए पूरी हो चुकी बीआरओ परियोजनाओं को अपने हाथ में ले लेती है।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) जैसी पारस्परिक हित की परियोजनाओं पर सहयोग हो सकता है।

- लद्दाख (UT) औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2023 इसका उद्देश्य क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है।
- सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) इनमें से कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं।
- एनएचआईडीसीएल के दृष्टिकोण में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में तेजी से राजमार्ग निर्माण शामिल है, जो सभी जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं।

एक ऐसा क्षेत्र जिसने आपदाएँ देखी हैं

- हिमालय क्षेत्र में पिछली आपदाओं के बावजूद, सरकारी निकाय चेतावनियों पर ध्यान दिए बिना तीव्र गति से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं और निष्पादित कर रहे हैं।
- 2010 के बाद से, हिमालय में कई आपदाएँ आई हैं जिसके परिणामस्वरूप जीवन और आजीविका की हानि हुई है।
- 2013 में, केदारनाथ में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई।
- जोशीमठ में एक पहाड़ी ढलान से पानी बह निकला, जिससे शहर के कुछ हिस्से डूब गए।
- नवंबर 2023 में, एक ध्वस्त सुरंग परियोजना से 41 श्रमिकों को बचाया गया था हिमालय में, अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहा है।
- उत्तराखंड, जहां कई त्रासदियां हुईं, विशेषज्ञों की चेतावनियों के बावजूद कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं देखी गईं।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए चार धाम तीर्थस्थलों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित करने की सिफारिश की, लेकिन तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि जारी है।
- कुछ विशेषज्ञ पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए पैरा-ग्लेशियल क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं से बचने का सुझाव देते हैं।
- जब आपदाएँ आती हैं, तो प्रवासी श्रमिक और निवासी, पर्यटक और तीर्थयात्री मानवीय लागत वहन करते हैं, जबकि सरकारी निकाय और डेवलपर्स जवाबदेही से बचते हैं।

अल्प समीक्षा

- जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता निराश हैं क्योंकि अदालतों का दरवाजा खटखटाने और विशेषज्ञ समितियों के गठन के बावजूद उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है।
- पहाड़ों में मेगा परियोजनाओं में जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षा उपायों और भूवैज्ञानिक और भूकंपीय विश्लेषण सहित उचित परिश्रम का अभाव है।
- विकास हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी जैव विविधता में नाजुक संतुलन को बिगाड़ने की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

- हिमालय और क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है।
- पर्यावरण संरक्षण के लिए सोनम वांगचुक की लड़ाई लद्दाख से भी आगे तक फैली हुई है; यह मानवता और उसकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए एक लड़ाई है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न: GS PAPER III:

प्रश्न 1: 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावित होगा? भारत के हिमालयी और तटीय राज्य जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित होंगे? (250 शब्द/15 अंक) (यूपीएससी 2017)

प्रश्न 2: किसी पर्यावरण के लिए प्रासंगिक पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता की अवधारणा को परिभाषित करें। बताएं कि किसी क्षेत्र के सतत विकास की योजना बनाते समय इस अवधारणा को समझना कितना महत्वपूर्ण है। (250 शब्द/15 अंक) (यूपीएससी 2019)

उत्तर दृष्टिकोण

- किसी पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता की परिभाषा के साथ उत्तर का परिचय दें और पर्यावरणीय विचारों के लिए इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें।
- फिर वहन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक लाएँ।
- आगे सतत विकास के महत्व पर चर्चा करें:
- फिर वहन क्षमता और सतत विकास के बीच महत्वपूर्ण संबंध को दोहराते हुए निष्कर्ष निकालें।

उत्तर

किसी पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता किसी प्रजाति की अधिकतम जनसंख्या आकार है जिसे वह उपलब्ध संसाधनों और पर्यावरणीय बाधाओं को देखते हुए अनिश्चित काल तक समर्थन दे सकता है। यह एक गतिशील अवधारणा है, जो प्रौद्योगिकी, संसाधन वितरण और मानव व्यवहार जैसे कारकों से प्रभावित है, जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के बीच संबंध को रेखांकित करती है।

कई कारणों से सतत विकास योजना के लिए वहन क्षमता को समझना महत्वपूर्ण है:

- **संसाधन सीमाओं को पहचानना:** वहन क्षमता हमें याद दिलाती है कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। सतत विकास को पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्जीवित करने की क्षमता से अधिक होने से बचने के लिए कुशल संसाधन उपयोग, रीसाइक्लिंग और नवीकरणीय विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **पर्यावरणीय क्षरण को रोकना:** वहन क्षमता से अधिक होने से प्रदूषण, संसाधन की कमी, निवास स्थान का विनाश और जैव विविधता की हानि होती है। वहन क्षमता के भीतर योजना बनाने से अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय क्षति को रोकने में मदद मिलती है।
- **विकास संबंधी निर्णयों की सूचना देना:** जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिक विकास ने पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव डाला है। दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्षमता आकलन बुनियादी ढांचे की योजना (आवास, स्वच्छता) और भूमि-उपयोग निर्णयों का मार्गदर्शन करता है।
- **जिम्मेदार उपभोग:** वहन क्षमता को समझने से जागरूक उपभोग पैटर्न, अपशिष्ट में कमी और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में संक्रमण को बढ़ावा मिलता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव कम होता है।
- **संसाधन समानता को बढ़ावा देना:** सतत विकास के लिए वर्तमान और भावी पीढ़ियों दोनों के लिए संसाधनों तक उचित पहुंच की आवश्यकता होती है। वहन क्षमता संबंधी विचार संसाधन वितरण और सामाजिक असमानता के मुद्दों का समाधान करने में मदद करते हैं।

इस प्रकार, पारिस्थितिक सीमाओं का सम्मान किए बिना सतत विकास हासिल नहीं किया जा सकता है। वहन क्षमता की अवधारणा हमें ऐसे विकास मॉडल अपनाने के लिए मजबूर करती है जो आर्थिक विकास, सामाजिक भलाई और

हमारे ग्रह के दीर्घकालिक स्वास्थ्य में सामंजस्य बिठाते हैं। पर्यावरणीय क्षमताओं के अनुरूप पुनर्योजी प्रथाओं, संसाधन दक्षता और जनसंख्या प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली नीतियां वास्तव में टिकाऊ भविष्य के लिए आवश्यक हैं।

एक ही उत्तर लिखने का दूसरा तरीका

वहन क्षमता किसी प्रजाति की अधिकतम जनसंख्या आकार को संदर्भित करती है जिसे पर्यावरण उपलब्ध संसाधनों और मौजूदा पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए अनिश्चित काल तक बनाए रख सकता है। किसी क्षेत्र में सतत विकास की योजना बनाने के लिए इस अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है।

- पर्यावरणीय विचारों के लिए वहन क्षमता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिकतम टिकाऊ जनसंख्या या गतिविधि स्तर निर्धारित करती है जिसे एक पारिस्थितिकी तंत्र संसाधनों के क्षरण या कमी के बिना समर्थन कर सकता है।
- लद्दाख में, जहां 97% आबादी में स्वदेशी जनजातियाँ शामिल हैं जो खेती और पशु पालन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए वहन क्षमता को समझना आवश्यक है कि क्षेत्र के संसाधनों का अत्यधिक दोहन न हो, जिससे पर्यावरणीय गिरावट और आजीविका का नुकसान न हो।

वहन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक :

- जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढाँचे का विकास, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक गतिविधियाँ जैसे कारक किसी पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
- लद्दाख में, बाढ़, सूखा, भूस्खलन और ग्लेशियर पिघलने जैसी जलवायु परिवर्तन-प्रेरित घटनाएं पानी की उपलब्धता, कृषि और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य को प्रभावित करके क्षेत्र की वहन क्षमता पर सीधे प्रभाव डालती हैं।

सतत विकास के लिए महत्व :

- सतत विकास की योजना के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता के अनुरूप गतिविधियों का आकलन और प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है ताकि इसकी सीमा से आगे बढ़ने से बचा जा सके।
- लद्दाख में, क्षेत्र की वहन क्षमता पर विचार किए बिना तेजी से बुनियादी ढाँचे का विकास और औद्योगीकरण पर्यावरणीय कमजोरियों को बढ़ा सकता है और बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं को जन्म दे सकता है।
- वहन क्षमता को समझकर, नीति निर्माता जलवायु परिवर्तन के सामने दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए भूमि उपयोग, संसाधन प्रबंधन और बुनियादी ढाँचे के विकास के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं।

इस प्रकार, लद्दाख और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए वहन क्षमता की अवधारणा अपरिहार्य है। इस समझ को योजना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में एकीकृत करके, हितधारक ऐसे विकास को बढ़ावा दे सकते हैं जो प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करता है, जैव विविधता को संरक्षित करता है और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई की रक्षा करता है।

प्रश्न 1: हिमालय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों का उद्गम स्थल है।
2. इसमें ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ग्लेशियरों की सबसे बड़ी सघनता है।
3. यह प्रमुख दक्षिण एशियाई नदियों का उद्गम स्थल है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

ए) केवल 1 और 2

बी) केवल 2 और 3

ग) केवल 1 और 3

घ) 1, 2, और 3

प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले बर्फ और बर्फ के विशाल भंडार से संबंधित है?

ए) क्रायोस्फीयर

बी) स्थलमंडल

ग) जलमंडल

घ) वातावरण

प्रश्न 3: "तीसरा ध्रुव" उपनाम अक्सर हिमालय क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि:

a) विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत की उपस्थिति।

b) इसका स्थान भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे उत्तरी बिंदु पर है।

ग) ग्लेशियरों के रूप में मीठे पानी का विशाल भंडार।

घ) इसके उच्च-ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली अद्वितीय जैव विविधता।

प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है?

ए) ब्रह्मपुत्र

बी) सिंधु

ग) नर्मदा

घ) गंगा

प्रश्न 5: निम्नलिखित में से कौन सा आकस्मिक बाढ़ का सबसे आम कारण है?

a) लंबे समय तक हल्की वर्षा

ख) बांध या तटबंध की अचानक विफलता

ग) अल्प अवधि में तीव्र वर्षा

घ) पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी से बर्फ पिघलना

प्रश्न 6: आकस्मिक बाढ़ विशेष रूप से खतरनाक होती है क्योंकि वे:

क) अधिकतर पूर्वानुमानित स्थानों पर घटित होता है

बी) हमेशा चेतावनी के संकेत से पहले होते हैं

ग) थोड़ी सी चेतावनी के साथ तेजी से विकास करें

घ) मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाता है

प्रश्न 7: निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक विशेषता आकस्मिक बाढ़ के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील नहीं है?

क) अभेद्य सतहों वाले शहरी क्षेत्र

बी) पर्वतीय घाटियाँ और घाटियाँ

ग) सूखी नदी तल और रेगिस्तानी धुलाई

घ) विशाल कृषि मैदान

प्रश्न 8: आकस्मिक बाढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये प्राकृतिक बर्फ बांधों के ढहने के कारण हो सकते हैं।

2. वे पारंपरिक नदी बाढ़ की तुलना में अधिक पूर्वानुमानित होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

ए) केवल 1

बी) केवल 2

ग) 1 और 2 दोनों

घ) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 9: निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री क्षेत्र किसी देश की आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है?

क) विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड)

बी) सन्निहित क्षेत्र

ग) प्रादेशिक सागर

घ) उच्च समुद्र

प्रश्न 10: UNCLOS के तहत, "निर्दोष मार्ग का अधिकार" निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है?

- क) ईईजेड में वाणिज्यिक मछली पकड़ने वाले जहाज
- बी) सन्निहित क्षेत्र में नेविगेट करने वाली पनडुब्बियां
- ग) एक राष्ट्र के क्षेत्रीय समुद्र के भीतर सभी राज्यों के जहाज
- घ) महाद्वीपीय शेल्फ का सर्वेक्षण करने वाले अनुसंधान जहाज

प्रश्न 11: राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में गहरे समुद्र संसाधनों के प्रबंधन के लिए UNCLOS के तहत निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी?

- क) अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (आईएसए)
- बी) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ)
- ग) समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (आईटीएलओएस)
- घ) महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर आयोग (सीएलसीएस)

प्रश्न 12: UNCLOS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह वर्ष 1982 में लागू हुआ।
 2. यह अपनी व्याख्या से संबंधित विवादों के अनिवार्य निपटान के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।
- उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
- ए) केवल 1
 - बी) केवल 2
 - ग) 1 और 2 दोनों
 - घ) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 1: हिमालय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों का उद्गम स्थल है।
 2. इसमें ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ग्लेशियरों की सबसे बड़ी सघनता है।
 3. यह प्रमुख दक्षिण एशियाई नदियों का उद्गम स्थल है।
- उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
- ए) केवल 1 और 2
 - बी) केवल 2 और 3
 - ग) केवल 1 और 3
 - घ) 1, 2, और 3

उत्तर: (डी) 1, 2, और 3

स्पष्टीकरण: तीनों कथन हिमालय क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं - सबसे ऊंचे पहाड़ों का घर, अपने विशाल हिमनद भंडार के साथ "तीसरा ध्रुव", और अरबों लोगों का समर्थन करने वाली महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों का स्रोत।

प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले बर्फ और बर्फ के विशाल भंडार से संबंधित है?

- ए) क्रायोस्फीयर
- बी) स्थलमंडल
- ग) जलमंडल
- घ) वातावरण

उत्तर: (ए) क्रायोस्फीयर

व्याख्या: क्रायोस्फीयर पृथ्वी के जमे हुए हिस्सों को संदर्भित करता है, जिसमें ग्लेशियर, बर्फ का आवरण, बर्फ की चादरें और पर्माफ्रॉस्ट शामिल हैं। हिमालय इसका प्रमुख उदाहरण है।

प्रश्न 3: "तीसरा ध्रुव" उपनाम अक्सर हिमालय क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि:

- a) विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत की उपस्थिति।
- b) इसका स्थान भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे उत्तरी बिंदु पर है।
- ग) ग्लेशियरों के रूप में मीठे पानी का विशाल भंडार।

उत्तर: (सी) ग्लेशियरों के रूप में मीठे पानी का विशाल भंडार।

स्पष्टीकरण: जबकि अन्य विकल्प आंशिक रूप से सत्य हो सकते हैं, "तीसरा ध्रुव" पदनाम मुख्य रूप से क्षेत्र में पाए जाने वाले बर्फ और बर्फ की भारी मात्रा को संदर्भित करता है, जो आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों की बर्फ की टोपियों को प्रतिबिंबित करता है।

<p>घ) इसके उच्च-ऊँचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली अद्वितीय जैव विविधता।</p>	
<p>प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? ए) ब्रह्मपुत्र बी) सिंधु ग) नर्मदा घ) गंगा</p>	<p>उत्तर: (सी) नर्मदा व्याख्या: नर्मदा नदी का उद्गम मध्य भारत में अमरकंटक पठार से होता है, जबकि अन्य का उद्गम हिमालय के ग्लेशियरों से होता है।</p>
<p>प्रश्न 5: निम्नलिखित में से कौन सा आकस्मिक बाढ़ का सबसे आम कारण है? अ) लंबे समय तक हल्की वर्षा ख) बांध या तटबंध की अचानक विफलता ग) अल्प अवधि में तीव्र वर्षा घ) पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी से बर्फ पिघलना</p>	<p>उत्तर: (सी) अल्प अवधि में तीव्र वर्षा स्पष्टीकरण: जबकि सभी विकल्प बाढ़ का कारण बन सकते हैं, अचानक बाढ़ को विशेष रूप से तीव्र, स्थानीयकृत वर्षा के कारण अचानक शुरू होने की विशेषता है।</p>
<p>प्रश्न 6: आकस्मिक बाढ़ विशेष रूप से खतरनाक होती है क्योंकि वे: क) अधिकतर पूर्वानुमानित स्थानों पर घटित होता है बी) हमेशा चेतावनी के संकेत से पहले होते हैं ग) थोड़ी सी चेतावनी के साथ तेजी से विकास करें घ) मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाता है</p>	<p>उत्तर: (सी) थोड़ी सी चेतावनी के साथ तेजी से विकास करें स्पष्टीकरण: आकस्मिक बाढ़ की तीव्र और अप्रत्याशित प्रकृति एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है, क्योंकि अक्सर खाली करने या सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए समय सीमित होता है।</p>
<p>प्रश्न 7: निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक विशेषता आकस्मिक बाढ़ के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील नहीं है? क) अभेद्य सतहों वाले शहरी क्षेत्र बी) पर्वतीय घाटियाँ और घाटियाँ ग) सूखी नदी तल और रेगिस्तानी धुलाई घ) विशाल कृषि मैदान</p>	<p>उत्तर: (डी) विशाल कृषि मैदान स्पष्टीकरण: समतल स्थलाकृति के कारण मैदानी इलाकों में आम तौर पर जोखिम कम होता है। अन्य विकल्पों में अचानक बाढ़ आने का खतरा होता है: अभेद्य सतहें पानी के अवशोषण को सीमित कर देती हैं, खड़ी भूभाग से तेजी से पानी बहता है, और शुष्क क्षेत्र अचानक होने वाली बारिश से जलमग्न हो सकते हैं।</p>
<p>प्रश्न 8: आकस्मिक बाढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ये प्राकृतिक बर्फ बांधों के ढहने के कारण हो सकते हैं। 2. वे पारंपरिक नदी बाढ़ की तुलना में अधिक पूर्वानुमानित होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? ए) केवल 1 बी) केवल 2 ग) 1 और 2 दोनों घ) न तो 1 और न ही 2</p>	<p>उत्तर: (ए) केवल 1 स्पष्टीकरण: बर्फ या मलबे वाले बांधों के ढहने से पानी का अचानक उछाल आ सकता है, जिससे अचानक बाढ़ आ सकती है। स्थानीय, तीव्र वर्षा की घटनाओं पर निर्भरता के कारण अचानक आने वाली बाढ़ का अनुमान आमतौर पर नदी की बाढ़ की तुलना में कम होता है।</p>
<p>प्रश्न 9: निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री क्षेत्र किसी देश की आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है? क) विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) बी) सन्निहित क्षेत्र ग) प्रादेशिक सागर घ) उच्च समुद्र</p>	<p>उत्तर: (सी) प्रादेशिक सागर स्पष्टीकरण: प्रादेशिक सागर वह क्षेत्र है जहां एक तटीय राज्य अपने भूमि क्षेत्र के समान पूर्ण संप्रभुता का प्रयोग करता है।</p>
<p>प्रश्न 10: UNCLOS के तहत, "निर्दोष मार्ग का अधिकार" निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? क) ईईजेड में वाणिज्यिक मछली पकड़ने वाले जहाज</p>	<p>उत्तर: (सी) एक राष्ट्र के क्षेत्रीय समुद्र के भीतर सभी राज्यों के जहाज</p>

<p>बी) सन्निहित क्षेत्र में नेविगेट करने वाली पनडुब्बियां ग) एक राष्ट्र के क्षेत्रीय समुद्र के भीतर सभी राज्यों के जहाज घ) महाद्वीपीय शेल्फ का सर्वेक्षण करने वाले अनुसंधान जहाज</p>	<p>स्पष्टीकरण: इनोसेंट पैसेज यूएनसीएलओएस का एक मूलभूत सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जहाज शांतिपूर्ण नेविगेशन के लिए बिना किसी अनुचित बाधा के दूसरे देश के क्षेत्रीय समुद्र को पार कर सकें।</p>
<p>प्रश्न 11: राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में गहरे समुद्र संसाधनों के प्रबंधन के लिए UNCLOS के तहत निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी?</p> <p>क) अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (आईएसए) बी) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ग) समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (आईटीएलओएस) घ) महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर आयोग (सीएलसीएस)</p>	<p>उत्तर: (ए) इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (आईएसए) स्पष्टीकरण: आईएसए पर किसी एक देश के नियंत्रण ("क्षेत्र") से परे समुद्र तल पर स्थित खनिज संसाधनों से लाभ को विनियमित करने और साझा करने का आरोप है।</p>
<p>प्रश्न 12: UNCLOS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:</p> <p>1. यह वर्ष 1982 में लागू हुआ। 2. यह अपनी व्याख्या से संबंधित विवादों के अनिवार्य निपटान के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?</p> <p>ए) केवल 1 बी) केवल 2 ग) 1 और 2 दोनों घ) न तो 1 और न ही 2</p>	<p>उत्तर: (सी) 1 और 2 दोनों स्पष्टीकरण: यूएनसीएलओएस का समापन 1982 में हुआ था लेकिन यह 1994 में लागू हुआ। यह आईटीएलओएस जैसे निकायों के माध्यम से बाध्यकारी सहित कई विवाद समाधान विकल्प प्रदान करता है।</p>